उत्तर प्रदेश शासन
गृह (गोपन) अनुभाग–3
संख्याः–363/2020–सी0एक्स0–3
लखनऊः दिनांक 04 मई, 2020

आदेश

देश में लॉक डाउन प्रभावी होने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य प्रदेशों में अवरूद्ध विभिन्न कामगार, मजदूर, व्यवसायी, अध्ययनरत छात्र–छात्राएं, तीर्थ यात्रियों, पर्यटक आदि तथा इसी तरह के अन्य प्रदेशों के व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश राज्य में अवरूद्ध हैं और उनके द्वारा अपने मूल राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में वापस जाने की इच्छा व्यक्त की गयी है, के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र/आदेश दिनांक 29.04.2020 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

2. राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में अवरूद्ध व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति व प्रकिया निम्नवत् होगीः–

2(1) जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी प्रत्येक जिले के लिए आवागमन का पास जारी करेगा। जारी किया गया प्रत्येक पास, पास जारी करने की तारीख से 02 दिन के भीतर यात्रा प्रारम्भ करने के लिए मान्य होगा।

2(2) पास जारी करने के लिए जनसुनवाई पोर्टल–jansunwai.up.nic.in- पर उत्तर प्रदेश से भारत में किसी अन्य स्थान पर जाने के इच्छुक सभी व्यक्ति आवेदन करेंगे। यह सुविधा –android app- पर भी उपलब्ध हो जायेगी।

2(3) अवरूद्ध छात्रों, व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों आदि को आवश्यक पास प्राप्त करने के बाद अपने स्वयं के वाहनों के साथ यात्रा की अनुमति होगी, जबकि प्रवासी मजदूरों और कामगारों को जिनके पास अपने वाहन नही हैं उनको राज्यों के आपसी परामर्श/सहमति के बाद व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से समूह में भेजे जाने की व्यवस्था पृथक से 500 कि0मी0 से ज्यादा की दूरी होने पर ट्रेन के माध्यम से तथा इससे कम दूरी होने पर बस के माध्यम से करने का प्रयास किया जायेगा। सम्बन्धित राज्यों के नोडल अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेटों से समन्वय करके उनके सम्बन्धित राज्यों के मजदूरों को पास देने के लिए और ऐसे पासों की दैनिक संख्या को सुचारू और सुव्यवस्थति करने के लिए एक कार्यक्रम/योजना तैयार करेंगे।

2(4) प्रत्येक जनपद अन्य राज्यों के मजदूरों और श्रमिकों के लिए आवागमन की योजना तैयार करेगा और जनपद में उन मजदूरों की राज्यवार सूची तैयार की जायेगी, जो बाहर जाना चाहते हैं तथा उक्त राज्य से सम्बन्धित नोडल अधिकारियों से उसको साझा करेगा।

2(5) जो भी व्यक्ति (जो व्यक्तिगत रूप से या दूसरों की मदद से) बाहर जाने के इच्छुक हैं, जनसुनवाई पोर्टल–jansunwai.up.nic.in- अथवा –android app- पर **"उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य जाने हेतु"** और **"अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने हेतु"**

..........2/–

लिंक्स के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपना नाम, पहचान प्रकार/आधार संख्या, पहचान चिन्ह, सम्पर्क नम्बर, समूह के व्यक्तियों के नाम, अन्य प्रदेश में मूल पते की तहसील व जनपद का नाम, गंतव्य राज्य आदि का विवरण भर कर अपना पंजीकरण करा सकते है। जनपद स्तर पर उक्त समस्त सूचना संकलित की जायेगी और राज्य स्तर पर नोडल अधिकारियों को दी जायेगी जो उसे सम्बन्धित राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ साझा करेंगे। यदि यात्रा प्राईवेट बस से की जाती है तो बस में यात्रा के दौरान Social distancing के मानदंडों का पालन करना होगा तथा एक बस में 50 प्रतिशत से ज्यादा यात्री नहीं भेजे जायेंगे। 1200 के लगभग यात्रियों की संख्या होने पर तथा 500 कि0मी0 से अधिक की दूरी होने की स्थिति में विशेष ट्रेन चलाने पर भी विचार किया जा सकता है। इसके लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी गृह विभाग को यात्रियों की सूची सहित उनके स्क्रीनिंग करा लेने सम्बन्धी प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करेंगे व गृह विभाग द्वारा विशेष ट्रेन बुक कराई जायेगी।

2(6) राज्य नोडल अधिकारी दूसरे राज्यों में अपने समकक्षों तथा रेलवे/रोडवेज के अधिकारियों के साथ तिथिवार आवागमन के साथ–साथ परिवहन के लिए योजना बनाएंगे। यदि अन्य राज्य सहमत हो तो राज्य यूपीएसआरटीसी की बसों को अथवा स्थानीय ट्रांसपोर्टरों को किराए पर उनके राज्य तक भेजा सकता है।

2(7) अधिक प्रवासी श्रमिक वाले जनपदों द्वारा प्रत्येक राज्य हेतु प्रस्थान के लिए विशिष्ट दिन निर्धारित किया जाना वांछनीय होगा। हालांकि, व्यक्तिगत हल्के वाहनों द्वारा अन्य राज्यों के लिए प्रस्थान अन्य दिनों भी जारी रहेगा।

2(8) बाहर जाने के इच्छुक व्यक्ति या समूह के लोगों द्वारा पूरे समूह की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति या समूह राज्य परिवहन का साधन (Transportation) को किराए पर लेना चाहता है, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रत्येक जिले द्वारा आवागमन की योजना तैयार की जायेगी तथा उसको सम्बन्धित राज्य के नोडल अधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा।

2(9) स्थानीय प्रशासन बस मालिकों की उन बसों को कीटाणुरहित (disinfecting) करने की सुविधा प्रदान करेंगे जिनका उपयोग सम्बन्धित जिलों के व्यक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

3. उपरोक्त समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा व्यक्तियों के आवागमन की सुविधा हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार से समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव

.......3/–

संख्या–363/2020–सीएक्स–3, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त मुख्य सचिव, राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश।

(2) समस्त अपर मुख्य सचिव, राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश।

(3) समस्त नोडल अधिकारी राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश।

(4) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।

(5) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

(6) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।

(7) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।

(8) अपर मुख्य सचिव, राजस्व को इस अनुरोध के साथ कि बनाये जा रहे वेब साइट/पोर्टल का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा, इसके लिए एक यूजर मैनुअल भी सभी सम्बन्धित को उपलब्ध कराने और वेबसाइट पर डालने हेतु प्रेषित।

(9) सम्बन्धित नोडल अधिकारीगण।

(10) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम।

(11) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

(12) पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।

(13) समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
विशेष सचिव।